अनुमंडल कार्यालय, सदर, गया

(कल्याण शाखा)

अल्पकालीन सूचना

–:: विकास मित्र के रिक्त पद पर नियोजन से संबंधित सूचना::–

मिशन निदेशक, बिहार महादलित विकास मिशन, बिहार, पटना के पत्रांक–1586, दिनांक–05.09.2016, पत्रांक–838, दिनांक–20.04.2022 एवं पत्रांक–1317, दिनांक–21.06.2024 के निदेशानुसार जिला परियोजना पदाधिकारी–सह–जिला कल्याण पदाधिकारी, गया के पत्रांक–2867/जि0क0, दिनांक–05.08.2025 एवं पत्रांक–1528/जि0क0, दिनांक–07.05.2025 के द्वारा विकास मित्रों के रिक्ति उपलब्ध कराते हुए नियोजन की प्रक्रिया अविलम्ब पूर्ण कराने हेतु निदेश प्राप्त है।

उपरोक्त वर्णित निदेश के आलोक में विकास मित्र चयन मार्गदर्शिका (पंचम चरण) के अनुरूप विकास मित्र नियोजन की प्रक्रिया निम्नरूपेण निर्धारित की जाती है:–

क्रमांक	गतिविधि	अवधि
1	संबधित प्रखंडों मे आवेदन प्राप्त करना	**18.09.2025 से 27.09.2025 तक**
2	मेघा सूची तैयार करना तथा प्रकाशन करना	**06.10.2025**
3	चयन सूची तैयार करना एवं अनुमोदित करना।	**08.10.2025 से 09.10.2025 तक**
4	आपत्ति प्राप्त करना एवं निराकरण	**10.10.2025 से 14.10.2025 तक**
5	अन्तिम चयन सूची का प्रकाशन	**20.10..2025**
6	नियोजन पत्र वितरण/शपथ ग्रहण/उन्मुखीकरण	**30.10.2025**

रिक्तियों की विवरणी

क्र0सं0	प्रखंड/शहरी निकाय	रिक्तियों की सं0	पंचायत/वार्ड का नाम	जाति बहुलता	आरक्षण कोटि
01	नगर प्रखंड	01	03/04	चमार	सामान्य
02	मानपुर प्रखंड	01	सोहैपुर	भुईया	सामान्य
02	टनकुप्पा प्रखंड	01	चोबार	भुईया	सामान्य

चयन हेतु अर्हता:–

1. आवेदक/आवेदिका की न्यूनतम योग्यता मैट्रिक या समकक्ष होगी। मैट्रिक में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन मेधा सूची के अनुरूप किया जाएगा तथा समान अंक रहने पर ज्यादा उम्र वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी चयन में मैट्रिक या समकक्ष से उच्चतर योग्यता वाले अभ्यर्थी को अतिरिक्त लाभ नही दिया जाएगा। मैट्रिक पास अभ्यर्थी नही रहने पर नन मैट्रिक, नौवी पास, आठवी पास, सातवीं पास, छठी पास, एवं पाँचवी पास, का नियोजन किया जाएगा।

2. महिलाओं में शैक्षणिक योग्यता नही मिलने पर साक्षर रहने पर भी चयन किया जा सकेगा बशर्ते वे अक्षर आंचल योजना एवं स्वयं सहायता समूह के साथ जुड़ी हो तथा वे सामाजिक कार्य में प्रगतिशील सक्रिय महिला है।

3. महादलित अभ्यर्थी की उम्र दिनांक 01.01.2025 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 50 वर्ष होनी चाहिए।

4. आवेदक महादलित परिवार से होगा। पंचायत/वार्ड समुह(शहरी) में जिस महादलित जाति की बहुलता होगी उसी जाति के अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा।

5. जिस पंचायत/वार्ड/वार्ड समुह (शहरी) में विकास मित्र का चयन किया जाना है, वहीं के निवासी से आवेदन पत्र प्राप्त किया जाएगा एवं चयन किया जाएगा।

6. यह नियुक्ति अनुबंध पर आधारित है, जिसे सरकारी कर्मचारी नही समझा जायेगा।

चयन प्रक्रियाः–

1. आवेदन विहित प्रपत्र में होना चाहिए। विहित प्रपत्र संबंधित प्रखंड कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

2. आवेदन पत्र जमा करने का स्थान संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी का कार्यालय होगा ।

आवेदन के साथ आवश्यक कागजात

(A) मैट्रिक/समकक्ष का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति।

नन मैट्रिक के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति/समकक्ष से निर्गत प्रवेश पत्र की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति। आठवी से पांचवी पास तक के अभ्यर्थियों के लिए विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति।

(B) जाति प्रमाण पत्र आर0टी0पी0एस0 द्वारा निर्गत।

(C) स्थायी निवास प्रमाण पत्र (आर0टी0पी0एस0 द्वारा निर्गत)

7. प्रत्येक पंचायत/वार्ड/वार्ड समुह में महादलित जाति की बहुलता पूर्व से निर्धारित है।

8. अनुमंडल पदाधिकारी, सदर गया की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा विकास मित्रों का चयन मेघा अंक के आधार पर किया जाएगा।

9. विशेष जानकारी के लिए वेवसाईट www.mahadalitmission.org पर देख सकेंगे।

प्रभारी अनु0 कल्याण पदाधिकारी,
सदर, गया।

अनुमंडल पदाधिकारी,
सदर, गया।

ज्ञापांक 205 दिनांक 09.09.2025

प्रतिलिपिः–जिला कल्याण पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना जन–सम्पर्क पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि उपरोक्त विज्ञप्ति स्थानीय सामाचार पत्रों में निर्धारित अवधि के पूर्व प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपिः–अपर अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, गया को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि अपनी देख–रेख एवं पर्यवेक्षण में विकास मित्र का नियोजन से संबंधित कार्यों का सम्पादन कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपिः–प्रभारी अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी, सदर, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, नगर/मानपुर/टनकुप्पा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–सहायक प्रशासी पदाधिकारी, सदर अनुमंडल, गया को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि विकास मित्र का चयन की प्रक्रिया अपने प्रर्यवेक्षण में शुद्वता की जांच करते हुए अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपिः–सभी संबंधित कर्मी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रभारी अनु0 कल्याण पदाधिकारी,
सदर, गया।

अनुमंडल पदाधिकारी,
सदर, गया।